<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 276 / 13</u> संस्थापन दिनांक:-12 / 08 / 13 फाईलिंग नं. 233504000802013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

कन्हैयालाल पिता आशाराम गौली उम्र 27 वर्ष, निवासी रतेड़ाकला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 12.08.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 325 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 20.06.2013 को शाम 05:00 बजे ग्राम रतेड़ाकला थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत फरियादी मुंशी यादव को स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.06.2013 शाम करीब 5 बजे अभियुक्त फरियादी की बोयी हुई फसल में से दो तीन बार हल बख्खर लेकर गया तब फरियादी ने कुछ नहीं कहा परंतु अभियुक्त के परिवार से आयी बाई जब उसकी जमीन से जाने लगी तो उसने मना किया इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे पिराना से बांये हाथ की कलाई पर मारा। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना में की थी जिसके आधार पर थाना आमला में अपराध क. 226/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षीयों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी मुंशी यादव को स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की ?
- 2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

- 5 मुंशी (अ.सा.—1) ने उसके न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त उसके खेत में फसल के उपर से एक दो बार हल बख्खर लेकर गया तो उसने अभियुक्त से कहा कि मेड़ पर से जाओ इसी बात पर अभियुक्त उसे गाली देने लगा और सिर पर जोर से पिराना मारने लगा तब उसने अपना बांया हाथ आगे किया जिससे पिराना बांये हाथ की कलाई में लगने से फेक्चर हो गया। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना आमला में की गयी थी। उसका डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया था तथा पुलिस ने उसके समक्ष नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—2) तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- दीनू यादव (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह अपने खेत पर था। उसे लड़ाई की आवाज आयी तो वह मौके पर गया, तब तक लड़ाई बंद हो चुकी थी। इसी साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि मौके पर आरोपी कन्हैया और फरियादी मुंशी दोनों खड़े थे और फरियादी मुंशी ने यह बताया था कि उसे आरोपी कन्हैया ने मारा था। झनक (अ.सा.—3) का कहना है कि वह घटना के समय अपने खेत पर था। उसे लड़ाई की आवाज आयी थी परंतु वह मौके पर नहीं गया था।
- उडाँ. एन.के. रोहित (अ.सा.—5) ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह दिनांक 20.06.2013 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आहत मुंशी का परीक्षण किया था जिसमें आहत की बांयी अग्र भुजा एवं कलाई के जोड़ पर 5 गुणा 3 सेमी. आकार की सूजन एवं दर्द था जिसके लिए उसने आहत को एक्सरे की सलाह दी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुचाई गयी थी जो कि फ्रेश थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—5) को प्रमाणित भी किया है।

- 8 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.—4) ने उसके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 21.06.2013 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को डॉ. एन.के. रोहित ने आहत मुंशी को बांयी अग्र भुजा एवं कलाई के एक्सरे के लिए भेजा था जिसका प्लेट क. 7062 है। एक्सरे में बांयी अलना हड्डी का निचला सिरा टूटा हुआ था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—4) को प्रमाणित भी किया है। उक्त साक्षी एवं साक्षी डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—5) की साक्ष्य एवं चिकित्सकीय रिपोर्ट से अभियोजन द्वारा वर्णित समयाविध में आहत मुंशी (अ.सा.—1) को चोट आना प्रमाणित होती है।
- 9 रहमत सिंह (अ.सा.—5) ने दिनांक 20.06.2013 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी मुंशी के द्वारा बताये जाने पर रोजनामचा सान्हा क. 934 (प्रदर्श प्री—5) लेख करने के बाद में फरियादी को डॉक्टरी मुलाहिजा हेतु भेजा जाना तथा फरियादी की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने पर दिनांक 03.08.2013 को अभियुक्त कन्हैयालाल के विरूद्ध असल अपराध क. 226/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—6) लेख करना प्रकट किया है।
- 10 जी.पी. रम्भारिया (अ.सा.—7) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि वह दिनांक 05.08.2013 को थाना आमला में एएसआई के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे थाने से अपराध क. 226 / 13 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक 05.08.2013 को मौका नक्शा (प्रदर्श प्री—1) तैयार किया गया तथा दिनांक 05.08.2013 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री—7) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।
- 11 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षी दीनू यादव (अ.सा.—2) एवं झनक (अ.सा.—3) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र आहत मुंशी के कथन है जिसके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। अतः एकमात्र इसी साक्षी की साक्ष्य पर अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रस्तुत किया है।
- 12 बचाव अधिवक्ता के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में दीनू यादव (अ.सा. -2) अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे फरियादी मुंशी ने बताया था कि अभियुक्त कन्हैया ने उसे मारा है। उक्त साक्षी ने अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपने समक्ष घटना घटित होने से इनकार किया है। उक्त साक्षी ने प्रति परीक्षण के पैरा क. 3 में बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी और घटना के

बाद वह मौके पर पहुंचा था। झनक (अ.सा.—3) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे लड़ाई की आवाज आयी थी पर वह मौके पर नहीं गया था। उक्त साक्षी से भी अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। साथ ही प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

13 साक्षी दीनू यादव (अ.सा.—2) के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में किये गये कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने अपने समक्ष घटना घटित होने से ही इनकार कर दिया है। अतः उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थित नहीं है जिससे उक्त साक्षी पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है। साक्षी झनक (अ.सा.—3) ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी कथन प्रकट नहीं किये हैं जिससे उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14 प्रकरण में साक्षी दीनू यादव (अ.सा.—2) एवं साक्षी झनक (अ.सा.—3) के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है परंतु बचाव अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 134 साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधानित है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2003) 1 एस.सी.सी. 465 अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह से विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्धी स्थिर की जा सकती है। अतः उक्त तर्क एवं न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में साक्षी मुंशी (अ. सा.—1) की साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक है।

15 मुंशी (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि जब अभियुक्त उसके खेत से तीसरी बार हल बख्खर लेकर गया तो उसने कहा कि मेड़ पर से जाओ। ऐसा कहने पर अभियुक्त ने उसके सिर पर जोर से पिराना मारा तो उसने अपना बांया हाथ आगे कर लिया जिससे उसके बांये हाथ में फेक्चर आ गया। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 3 में उक्त साक्षी ने यह सही होना बताया कि जब अभियुक्त हल बख्खर लेकर गया तो उसी बात पर से दोनों पक्षों में लामा झूमी होने लगी थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में यह सही होना बताया है कि विवाद अभिराम के साथ हो रहा था और पीछे ने किसी ने एकदम से आकर उसे मारा तो उसने अपने सीधे हाथ से उस वार को रोक लिया। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि जिस समय उसे चोट लगी उसका मुंह सामने की ओर था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 5 में साक्षी ने यह बताया है कि जब अभियुक्त उसके सामने आया तो उसे लगा कि अभियुक्त कन्हैया ने ही उसे मारा होगा क्योंकि अभियुक्त और बोल रहा था कि और मारो।

इसी पैरा में उक्त साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने पुलिस को भी यह बताया था कि अभियुक्त पीछे से आया और बोल रहा था कि और मारो और मारो इसलिए मुझे लगा कि अभियुक्त ने ही मारा होगा, इसलिए मैंने उसकी रिपोर्ट लिखायी। प्रति परीक्षण के पैरा क. 5 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि चोट कैसे लगी और हाथ कैसे टूटा वह नहीं बता सकता। इसी पैरा में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने अभियुक्त की शंका के आधार पर झूठी रिपोर्ट की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जैसे ही वह बचाव के लिए दौड़कर आया तो वह गिर गया था परंतु उक्त साक्षी ने स्वतः में यह बताया है कि वह चोट लगने के बाद में गिरा था।

अभियोजन कथा अनुसार एवं मुंशी (अ.सा.—1) के मुख्य परीक्षण में किये गये कथनोनुसार अभियुक्त ने हल बख्खर की बात पर से उसे सिर पर पिराना मारा तब फरियादी ने हाथ आगे किया जिससे उसे हाथ में चोट आ गयी। जबिक प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने वाद विवाद एक अन्य व्यक्ति अभिराम के साथ होना बताया है। साथ ही पीछे से किसी के द्वारा मारा जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त कन्हैया यह कह रहा था कि मारो और मारो तो उसे यह लगा कि अभियुक्त कन्हैया ने ही उसे मारा होगा। इस तरह से उक्त साक्षी स्वयं ही इस निश्चायक स्थिति में नहीं है कि उसे अभियुक्त द्वारा पिराने से मारपीट किये जाने पर ही बांये हाथ में चोट आयी थी। साक्षी के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के कथनों में तात्विक विरोधाभास है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि दोनों पक्षों के बीच में लामा झमी हो रही थी और जब वह अपने को बचाने के लिए दौडा था तो गिर भी गया था। यद्यपि उक्त साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसे गिरने से चोट आयी थी परंतु साक्षी के कथनों में विरोधाभास को देखते हुए इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे गिरने से चोट आयी होगी। साथ ही डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-4) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में आहत को आयी चोट धरातल पर कलाई के बल गिरने से आना संभव बताया है। स्वयं फरियादी / आहत मुंशी अभियुक्त के द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर निश्चायक स्थिति में नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में आहत मुंशी के कथनों में तात्विक विरोधाभास होने से एकमात्र इसी साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास कर अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20. 06.2013 को शाम 05:00 बजे ग्राम रतेड़ाकला थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत फरियादी मुंशी यादव को स्वेच्छया मारपीट कर गंभीर उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त कन्हैयालाल को उस पर आरोपित अपराध धारा 325 भा.दं. सं. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 18 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)